# डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

**(A Govt. State University of Rajasthan, Established by an Act No. 6 of 2019)**

कार्यालय (पत्राचार) – ''रूसा भवन'', डॉ. एस. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302015

**www.alujaipur.ac.in** **E-mail: registrar@alujaipur.ac.in**


क्रमांकः–एफ.6 II(96)Acad-II / अविवि / 2020–21 / 1711–1720 दिनांकः– 13.9.2021

कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा

विषयः– सत्र 2020–21 का अस्थाई सम्बद्वता शुल्क हस्तान्तरित करने बाबत।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव महोदया, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से सम्बद्वता (Affiliation) के क्रम में अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) के आदेश दिनांक 22.07.2020 के अनुसार सत्र 2020–21 से प्रदेश के समस्त विधि महाविद्यालय (अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों के सिवाय) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्वता प्राप्त करते हुए संचालित हो रहे है।

आपके क्षेत्राधिकार में रहे इन महाविद्यालयों द्वारा अस्थायी सम्बद्वता हेतु सत्र 2020–21 के लिए जो सम्बद्वता एवं निरीक्षण शुल्क जमा कराया था। उसमें से निरीक्षण शुल्क काटते हुए, शेष अस्थायी सम्बद्वता शुल्क की राशि इस विश्वविद्यालय (डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर) को शीघ्र हस्तान्तरित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावे।

बैक विवरण निम्नानुसार हैः–

1.खाता धारक का नाम – डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर।
2.बैक खाता संख्या – 07022612000517
3.बैक का नाम एव शाखा – पंजाब नेशनल बैक, राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन सरस, जे.एल.एन.मार्ग, 302017
4.आई.एफ.सी.कोड – PUNB0070210
5.एम.आई.सी.कोड – 302024056

ऐसे महाविद्यालय जिनका आपके विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्वता प्रदान की जा चुकी है, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा, उनकी सम्बद्वता को यथावत स्थायी रखे जाने का निणय प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक दिनांक 03.07.2021 में लिया गया है तथा इस स्तर पर उनसे उनकी स्थायी सम्बद्वता को बनाये रखने हेतु कोई शुल्क अभी नहीं लिया जाएगा। निकट भविष्य में सम्बन्धित सभी पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों के साथ स्थायी शुल्क के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में चर्चा कर विषय का निर्धारण एवं निस्तारण यथाशीघ्र किया जायेगा।

भवदीय,

(राज नारायण शर्मा, आर.ए.एस.)
कुलसचिव